

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-X (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०..... 123/2024

(कंप्यूटर रजि० संख्या-264/2024)

सरकार

बनाम तरुण कुमार आदि

अंतर्गत धारा-302/34,201 भा०द०सं०

थाना-विजयनगर गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-851/2023

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण तरुण कुमार, आकाशनाथ उर्फ लूल्ही एवं गौरव कारागार से मय अधिवक्ता उपस्थित आए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा-302/34,201 के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 22-07-2024 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

दिनांक:08-07-2024

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद